

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर ।

कार्यालय पता - विकास भवन के पीछे मुजफ्फरनगर फैक्ट/दूरभाष संख्या 0131 - 2621740 ई-मेल dfomuzaffarnagar@yahoo.com

पत्रांक :-4144 /14-1 (FP/UP/Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक,

24.06.2023

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड

लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

विषय:-

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पटरी कि०मी० वैनैज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्वन्ध में प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

सन्दर्भ:-

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-8वी०/ यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ० सी०/९३० दिनांक-28.02.2023 एवं पत्रांक 8वी०/ यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ० सी०/१८० दिनांक-12.06.2023, इस कार्यालय का पत्रांक 3327/14-1 दिनांक 20.03.2023, आपका पत्रांक 1194/चौधरी चरण सिंह दिनांक 20.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 4008/11-सी दिनांक 21.06.2023 ।

महोदय,

विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 28.02.2023 जो अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ आपको पृष्ठांकित भी है, के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज-1)जारी की गयी है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र ने अपने पत्रांक-1433/सोनभद्र/33 दिनांक 06.03.2023, प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर ने अपने पत्रांक 2786/मिर्जापुर/15 दिनांक 04.03.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3654/13-1 दिनांक 14.03.2023 द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के पत्रांक 5150/14-1 दिनांक 02.03.2023, पत्रांक 5300/14-1 दिनांक 15.03.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के पत्रांक 3612/14-1 दिनांक 17.03.2023 द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि की मांग प्रेषित की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4, 6 व 7 के क्रम में प्रस्ताव के सापेक्ष ब्लाक वृक्षारोपण, क्षतिपूर्क वनीकरण एवं एन०पी०वी० की धनराशि निम्नानुसार है-

शर्त सं०	वन प्रभाग	भूमि का प्रकार	रेंज का नाम	स्थल का नाम	क्षेत्रफल(हे०मे)	धनराशि रूपये में	धनराशि का योग (रु०मे)	
शर्त संख्या-6	सोनभद्र वन प्रभाग	अवनत वन भूमि	चुर्क रेंज	रोप क०न०-2	20	5651200	26982200.00	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
				रोप क०न०-3	20	5629300		
			माची रेंज	मांची क०न०-8	20	5688200		
				देवरी क०न०-3	20	5598800		
			पटना रेंज	पटना क०न०-6	18	4414700		
			योग	98	26982200			
	मिर्जापुर वन प्रभाग	अवनत वन भूमि	विण्ढमफाल रेंज	दाँती क०न०-1 (सूर्यवार)	66.50	32867458	32867458.00	
			झुमण्डगंज रेंज	बबुरा क०न०-1 (महुगढी)	40.00			
			पटेहरा रेंज	घोरी क०न०-1 (जहदर)	84.00			
			योग	190.50	32867458			
	ललितपुर वन प्रभाग	गैर वन भूमि	बार	बघोरा गाटा सं० 228	6.71	2360231	12709246	
			बार	बघोरा गाटा सं० 739 व 740	5.21	2161238		
			बार	बघोरा गाटा सं० 15,16 एवं 17	13.30	3533623		
			ललितपुर	कपासी गाटा सं० 251	16.00	4654154		
			योग	41.22	12709246	12709246.00		
		अवनत वन भूमि	गोना	बालाबेहट	40.00	10194634	23375180.00	
			तालबेहट	शाहपुर	20.00	5568527		
			तालबेहट	पवा	26.84	7612019		
			योग	86.84	23375180			

	पुनरोपण हेतु अनुरोधित पानी गयी मेर वन भूमि में एनपीवी आर वृक्षारोपण कार्य हेतु धनराशि	ललितपुर	पौजरी गाटा रॉ-302/1	2.24	6218100	प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
		ललितपुर	पौजरी गाटा रॉ-26/1	30.20	20437000	
		ललितपुर	पौजरी गाटा रॉ-27/1	90.50	70550200	
		ललितपुर	जाखलीन गाटा रॉ-752/4/1	18.00	14495100	
		ललितपुर	जाखलीन गाटा रॉ-600/4	20.30	16272200	
		ललितपुर	जाखलीन गाटा रॉ-532/1/2	9.74	10357500	
		ललितपुर	जाखलीन गाटा रॉ-523	2.40	6025900	
		ललितपुर	बघौरा गाटा रॉ-810, 817	7.66	10683500	
		योग :-		181.04	155039500	
		कुल योग				
शक्तिपूरक वनीकरण की धनराशि का कुल योग				155039500.00	250973584.00	
संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/ 2011- एफ0सी0(VOI-1) दिनांक-06.01.2022 के अनुपालन में बढ़ी हुई एन0पी0वी0 (नई दर)						
शर्त संख्या-7	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	113.68 हे0	957780.00 प्रति हे0	108880431.00	प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से	
	मेरठ वन प्रभाग	84.6 हे0	1228590.00 प्रति हे0	103938714.00		
	गाजियाबाद वन प्रभाग	24.7 हे0	1357110.00 प्रति हे0	33520617.00		
	एन0पी0वी0 का कुल योग	222.98		246339762.00		246339762.00
शर्त संख्या-4	वन प्रभाग का नाम	रोपण क्षेत्र (हे0में)	रोपण का प्रकार	धनराशि	प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से	
	मेरठ वन प्रभाग मेरठ	15.0 हे0	रोड साईड वृक्षारोपण / ब्लाक वृक्षारोपण / ट्रीगार्ड वृक्षारोपण	18605220.00		
		वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर	2470 ब्रिक गार्ड	10250500.00		
		वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के मिडियन पर	2058 ट्रीगार्ड	6174000.00		
	परियोजना हेतु संबंधित जनपदों में अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु धनराशि का योग			35029720.00		35029720.00
कैम्पा फण्ड के अन्तर्गत जमा करायी जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि का महायोग					532343066.00	

उपरोक्तानुसार धनराशि रुपये तिरेप्पन करोड तेईस लाख सैठसी हजार पाँच सौ रुपये के रूप में

उपरोक्तानुसार धनराशि रुपये तिरेप्पन करोड़ तेईस लाख तैतालीस हजार छियासठ मात्र की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2023 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की अतिरिक्त शर्तें भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनबद्धताएँ इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रोत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके। उक्त के अतिरिक्त पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष एवं वन एवं वन्य जीवों के सफल प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार धनराशि संबंधित वन प्रभाग में डी0डी0 जो की प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर / मेरठ / गाजियाबाद के नाम देय हो, को संबंधित वन प्रभाग में जमा कराने का कष्ट करें-

परिसम्पत्तियां	गाजियाबाद वन प्रभाग	विषयक परियोजना में विस्थापित होने वाली परिसम्पत्ति का विवरण प्रभागीय निदेशक की राईट इन्सपेक्शन में किया गया है	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद की पत्र संख्या-6272/14-1 दिनांक 05.05.2021 जो अधिशारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ को सम्बोधित में परिसम्पत्तियों के संबंध में अवगत कराया गया है।	30111392.00	
	मेरठ वन प्रभाग	वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग संरक्षण में प्रभावित वृक्षारोपण	वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग संरक्षण में प्रभावित वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति	4627763.00	
	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	विषयक परियोजना में प्रभावित होने वाली परिसम्पत्ति	परियोजना में प्रभावित मोरना रेंज के अन्तर्गत माजरा पौधशाला एवं मुजफ्फरनगर रेंज के अन्तर्गत वृक्षारोपण के संबंध में धनराशि उपलब्ध कराने की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जोकि प्रस्ताव के भाग -2 में अपलोड है।	2150000.00	
	परिसम्पत्तियों का कुल योग			36889155.00	36889155.00
प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित वन प्रभागों हेतु वन्य जीवों के सफल प्रबन्धन एवं वेटलैण्ड्स के विकास धनराशि	सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद			5000000.00	
	सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ			5000000.00	
	सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर			5000000.00	
	वन्य जीवों के सफल प्रबन्धन का कुल योग				15000000.00
	डी0डी0 के माध्यम से जमा की जाने वाली धनराशि का महायोग				51889155.00

उपरोक्तानुसार धनराशि रुपये पांच करोड़ अट्ठारह लाख नवासी हजार एक सौ पच्चीस मात्र की धनराशि नियमानुसार डी0डी0के माध्यम से संबंधित प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 के क्रम में जनपद गाजियाबाद, मेरठ एवं मुजफ्फरनगर में विषयक परियोजना के संरक्षण में आ रही वन विभाग की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन / पुनः निर्माण की धनराशि अथवा उक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गयी है। जिसके क्रम में प्रभावित परिसम्पत्तियों का संयुक्त निरीक्षण प्रस्तावित किया जा रहा है, उक्त के उपरान्त ही प्रभावित परिसम्पत्ति की क्षतिपूर्ति हेतु मांग प्रेषित की जा सकेगी। विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों के पातन हेतु निर्देशित किया गया है, साथ ही भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 की शर्त संख्या-2 के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण व वन विभाग को जिन वृक्ष प्रजातियों को पातन न करके उन्हें निकाल कर किन्ही दूसरे स्थलों पर लगाया जा सकता है उनके सम्पूर्ण वृक्ष प्रत्यारोपण (ETI) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। विषयक परियोजना में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक 21.06.2023 द्वारा विषयक परियोजना के समस्त देयकों के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आप उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2023 एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की अतिरिक्त शर्तों भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 की अनुपालन आख्या एवं उपरोक्तानुसार वांछित धनराशि नियमानुसार कैम्पा फण्ड एवं संबंधित प्रभागीय निदेशक, कार्यालय में डी0डी0के माध्यम से यथा शीघ्र जमा कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कन्हैया पटेल)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक

4100 /14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021)

दिनांकित | By E-mail

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 2-मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ ।
- 3-वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ ।
- 4-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

(कन्हैया मटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर

पत्रांक

/14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021)

दिनांकित | By E-mail

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 12.06.2023 एवं दिनांक 28.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2, शर्त संख्या-3, शर्त संख्या-5 (223.0 हे0 गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम अमलदरामद एवं पी0एफ0 / आर0एफ0 घोषित करने के संबंध में), शर्त संख्या-6 एवं शर्त संख्या-24 के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मिर्जापुर एवं सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2, शर्त संख्या-6 एवं शर्त संख्या-24 के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1, मुजफ्फरनगर एवं निर्माण खण्ड-2 गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया मटेल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मुजफ्फरनगर

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पटरी कि०मी० चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव।

On Line Proposal No- FP/UP/ROAD/121197/2021

" प्रस्तावित वन भूमि की एन०पी०वी० (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना

वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की गणना—

1— हरियाली घनत्व—	0.3
2— इको क्लास श्रेणी— III (Tropical Dry Deciduous Forest)	
3— एन०पी०वी० की दर प्रति है०	रुपये— 957780.00
4— आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल—	113.68 है०
5— कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रुपये—	108880431.00

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी (कन्हैया पटेल)
मुजफ्फरनगर प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी का प्रभाग
मुजफ्फरनगर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-11, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roecr, Roecr-mef@gov.in, roecr-mef@rediffmail.com

पत्र सं० ८बी/यूपी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/१३०

दिनांक: 28.02.2023

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 2478/11-सी-FP/UP/Road/ 121197/2021
दिनांक 01.02.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रकरण को दिनांक 20.02.2023 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की द्वितीय बैठक के समक्ष (Agenda Item 2.3 U.P.) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था, क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over an area of 408.06 ha (41.22 ha non-forest land (16.00 ha of Gata No.251/4, Village Kapasi, Range & District Lalitpur, 13.30 ha of Gata No. 15, 16 & 17, Village Baghaura, Range Baar, District Lalitpur, 6.71 ha of Gata No.228, Village Baghaura, Range Baar, District Lalitpur & 5.21 ha of Gata No. 739 & 740, Range Baar, District Lalitpur) and 366.84 ha degraded forest land (66.50 ha of Daati Compartment No.1 (Suryavar), Range Vindhampal, District Mirzapur, 40.00 ha of Babura Compartment No.1 (Mahugarhi), Range Dramandganj, District Mirzapur, 84.00 ha of Ghori Compartment No.2 (Jahdar), Range Patehara, District Mirzapur, 40.00 ha of Balabehat Forest Block, Range Gauna, District Lalitpur, 20.00 ha of Shahpur Forest Block, Range Talbehat, District Lalitpur, 26.84 ha of Pawa Forest Block, Range Talbehat, District Lalitpur, 18.00 ha of Compartment No.6, Patna Forest Block, Range Patna, District Sonbhadra, 20.00 ha of Compartment No.2, Roup Forest Block, Range Churk, District Sonbhadra, 20.00 ha of Compartment No.3, Roup Forest Block, Range Churk, District Sonbhadra, 20.00 ha of

- Compartment No.8, Machi Forest Block, Range Machi, District Sonbhadra & 20.00 ha of Compartment No.3, Devri Forest Block, Range Machi, District Sonbhadra) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The non-forest land which is unsuitable for plantation should be taken up for protection and assisted afforestation in the available space using necessary cultural operation technique.
 4. Road side plantation/block plantation should be taken up in any of the three affected districts in the proposal to compensate for loss of tree cover.
 5. The non-forest land of 223.00 ha in district Lalitpur proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval.
 6. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
 7. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 222.98 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pi.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.
 8. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
 9. User agency shall restrict the felling of trees to 112722 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
 10. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
 11. Certificate of "No violation" of FCA from concerned DFOs shall be provided.
 12. Plantation shall be raised on both sides of the road and median by the State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015. Scheme for roadside plantation shall be submitted.
 13. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
 14. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWW / NBWL / FAC / REC.
 15. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
 16. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
 17. No labour camp shall be established on the forest land.
 18. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
22. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (<https://parivesh.nic.in/>).
26. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

गवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (विभागाध्यक्ष), उ०प्र० वन विभाग, 17, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, राउरकिल्ला एवं मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग), लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

पत्रांक 1433 / सोनभद्र / 33, दिनांक, रावतसमंज, मार्च 06, 2023
सेवा में,

प्रभागीय निदेशक (नोडल)
मुजफ्फर नगर वन प्रभाग,
मुजफ्फर नगर।

विषय- चौधरी चरणसिंह वनवाण संरक्षक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दाहिनी पट्टी विन्गी 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फर नगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वाणिज्यिक प्रयोग एवं मुजफ्फर नगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्ष/पौधों के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या- 8वीं/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/९३०, दिनांक 28.02.2023 एवं आपका पत्रांक 3177/14-1 (एफ०पी०/यू०पी०/रोड/121197/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक-02.03.2023।

महोदय, विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आप द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्क वनीकरण की धनराशि, मार्ग के किनारे वृक्षारोपण/ब्लाक वृक्षारोपण की धनराशि, शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि की प्राक्कलन चाही गयी है। उक्त के क्रम में विषयक परियोजना में इस वन प्रभाग अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि आंकलित है, जिसका विस्तृत विवरण पूर्व में आपको प्रेषित किया जा चुका है :-

क्र० सं०	वृत्त / मण्डल का नाम	वन प्रभाग का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि के रेंज का नाम	चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि के वन ब्लाक एवं कम्पार्टमेन्ट का नाम	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि का सकल क्षेत्रफल (हे०में)	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चिन्हित की गयी उपयुक्त अवनत वनभूमि का शुद्ध क्षेत्रफल (हे०में)	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आंकलित धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मीरजापुर	सोनभद्र	चुर्क	रीप क०न०-2	30.00	20	56.512
2				रीप क०न०-3	25.30	20	56.293
3			माँची	माँची क०न०-8	24.70	20	56.882
4				देवरी क०न०-3	26.60	20	55.988
5			पटना	पटना क०न०-6	18.50	18	44.147
योग-					125.10	98.80	269.822

अतः उपरोक्तानुसार सूचना आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

संख्या- 1433 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य अभियन्ता मेरठ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक- 2786 / मीरजापुर / 15, दिनांक मीरजापुर मार्च 04, 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर ।

विषय-

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद-मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/ पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षो/ पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

आपका कार्यालय पत्रांक-3177/14-1/(FP/UP/ROAD/121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक 02.03.2023 ।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद-मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/ पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षो/ पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/३९०, दिनांक 28.02.2023 द्वारा उसमें उल्लिखित 26 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 के अनुपालन हेतु इस वन प्रभाग में होने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के प्रॉक्कलन तथा शर्त संख्या-21 के अनुपालन हेतु प्रमाण पत्र की आप द्वारा अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में शर्त संख्या-2 एवं 03 के अनुपालन में 190.50 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रॉक्कलन एवं शर्त संख्या-21 के अनुपालन हेतु अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 2786 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

covering letter 190.50

बिन्दु संख्या- 2

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पट्टरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद-मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/ पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षो/ पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में (FP/UP/ROAD/121197/2021) प्रमाण पत्र ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपयोगकर्ता एजेंसी के व्यय पर मीरजापुर वन प्रभाग द्वारा निम्नलिखित स्थलो पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य कराया जायेगा। परियोजना में अवनत वन भूमि क्षेत्रफल 190.50 हे० पर स्थानीय देशी प्रजाति के वृक्षो का मिश्रित वृक्षारोपण करते हुये मोनो कल्चर को टाला जायेगा।

क० सं०	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	क०न०	DSS Analysis के उपरान्त अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०मे)	अवनत वन भूमि का प्रकार
1-	मीरजापुर वन प्रभाग	विण्ढमफाल रेंज	दौती क०न०-1 (सूर्यवार)	66.50	आरक्षित (RF)
2-		झमण्डगंज रेंज	बबुरा क०न०-2 (महुगढ़ी)	40.00	आरक्षित (RF)
3-		पटेहरा रेंज	घोरी क०न०-2(जहदर)	84.00	आरक्षित (RF)
			योग -	190.50	

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

बिन्दु संख्या- 21

चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पटरी किमी० चैनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद-मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/ पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षो/ पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में (FP/UP/ROAD/121197/2021) प्रमाण पत्र ।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डायवर्ट किये जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाइल, सी०ए० क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट एरिया WLMP क्षेत्र को कार्य शुरू होने से पहले आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

भीमरी घरण सिंह कावड़ राइक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा किनार की बायीं पट्टरी किमी 0 चैनैज 51.910 से 163.40 तक, जनपद-मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.88 हे० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 04.8 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.88 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वाणिज्यिक प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 86685 वृक्ष/पौधों एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्ष/पौधों के पालन की अनुमति के सम्मन्ध में (Online proposal no. FP/UP/ROAD/ 121197/2021) चयनित स्थल गीरजापुर वन प्रभाग के 190.5 हे० अवनत भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैंपा, लखनऊ के पत्रांक-128/2-37-2(रीलिंग दर) दिनांक 25.08.2010, मुख्य वन संरक्षक, गीरजापुर क्षेत्र, गीरजापुर के पत्रांक-5476/गी०से०/7-7(15) दिनांक 18.08.2020 एवं मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वाणिज्य, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-जी-93/15-1(रीलिंग दर) दिनांक 30.09.2020 के अनुसार 10 वर्षीय योजना, मुद्रा स्फीति के कारण 6 प्रतिशत मूल्य वृद्धि एवं रोन्टेज चार्ज सहित प्रॉक्लन निम्न प्रयोग है:-

**पठारी क्षेत्रों हेतु व्यय अनुमान
वृक्षारोपण वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)**

क्षेत्रफल- 10.00 हे०

गड्ढों की सं०-1100 प्रति हे०

पत्थर दीवाल लम्बाई-800.00 मी०

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1.	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	10	हे०	54.00	540.00
2.	निरीक्षण मार्ग का निर्माण	1	कि०मी०	4839.00	4839.00
3.	क्षेत्र की सफाई (लेन्टानायुक्त सघनता) 25 से 50 %	10	हे०	2763.00	27630.00
4.	निशानदेही गड्ढा	11000	प्रति सं०	40.80	4488.00
5.	अग्रिम मृदा कार्य- गड्ढा खुदान (45x45x45) से०मी० पठारी भूमि	11000	प्रति गड्ढा	10.40	114400.00
6.	पत्थर दीवाल निर्माण (1.20x0.80x1.00) मी० 2	800	प्रति मी०	340.50	272400.00
7.	पत्थर दीवाल पर 10 से०मी० मिट्टी चढाई	800	प्रति मी०	4.40	3520.00
8.	अन्य व्यय (हे० में)	10		ल०स०	600.00
				योग-	428417.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	25705.02
				योग-	454122.02

(वृक्षारोपण कार्य)

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1.	गड्ढा भरान कार्य (45x45x45) से०मी०	11000	प्रति गड्ढा	1.20	13200.00
2.	स्थलीय पौध नर्सरी से पौध डुलान 50 किमी. तक	11330	प्रति पौध	3.25	36822.50
3.	गड्ढों में रोपण स्थानीय डुलान सहित	11000	प्रति पौध	2.40	26400.00
4.	धावला बनवाई	11000	प्रति धावला	2.65	29150.00
5.	निराई-गुड़ाई (3 बार)	11000	प्रति सं०/ प्रति०बार	90.00	29700.00
6.	कीटनाशक एवं उर्वरक का क्रय व प्रयोग (1 बार)	11000	प्रति पौध प्रतिवार	8.65	95150.00
7.	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक (प्रति 10 हे०) जुलाई से मार्च तक	234	प्रति दिवस	201	47034.00
8.	रोपावनी बोर्ड				4603.77
9.	अन्य व्यय			ल०स०	500.00
				योग-	282560.27
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	16953.62
				योग-	299513.89

प्रथम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1.	असफल गवजों में पीछों की बदलवाई हेतु पीछों (10 % पीछों) छोटी होती पीछों का प्रयोग जिमी 80 तक	1100	प्रति पीछा	3.25	3575.00
2.	रोपण एवं स्थानीय बुलना	1100	पीछा	2.40	2640.00
3.	पीछों की निराई-गुड़ाई (3 बार)	11000	प्रति सी०	90.00	29700.00
3 क	सफल पीछों के बावले की मरम्मत	11000	प्रति पीछा प्रति बार	1.65	18150.00
4.	रोपावनी क्षेत्र में वर्ष में 1 बार पीछों की लाइन में 1 मी० छोड़ाई में घारा कटाई	10	प्रति हे०	851	8510.00
5.	रोपावनी पीछों में गुरिया का प्रयोग (2 बार)	11000	प्रति पीछा	0.72	15840.00
6.	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	312	दिवस	201	62712.00
7.	प्रकृतिक पीछों का सीलिंग/कल्लर कार्य	10	हे०	587	5870.00
8.	अग्नि सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक 02 श्रमिक	90	दिवस	201	18090.00
9.	अन्य व्यय			ल०स०	2500.00
				योग-	167587.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	10055.22
				योग-	177642.22

द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1.	पीछों की निराई गुड़ाई 3 बार	11000	प्रति सी० प्रति बार	90.00	29700.00
2.	अग्नि सुरक्षा 02 श्रमिक	90	प्रति दिन	201	18090.00
3.	सुरक्षा खाई की फेंसनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	-	-	ल०स०	40000.00
4.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हेक्टेयर पर एक)	312	प्रतिदिन	201	62712.00
5.	रोपावनी क्षेत्र में वर्ष में 1 बार पीछों की लाइन में 1 मी० छोड़ाई में घारा कटाई	10	प्रति हे०	851	8510.00
6.	अन्य व्यय			ल०स०	3000.00
				योग-	162012.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	9720.72
				योग-	171732.72

तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1.	पीछों की निराई गुड़ाई 02 बार	11000	प्रति सी०, प्रति बार	90	19800.00
2.	अग्नि सुरक्षा 02 श्रमिक	90	प्रतिदिन	201	18090.00
3.	सुरक्षा खाई की फेंसनिंग/पत्थरबाड़ी/तारबाड़ मरम्मत आदि	-	-	ल०स०	46000.00
4.	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पीछों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	-	-	ल०स०	13000.00
5.	वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (8 हेक्टेयर पर एक)	312	प्रतिदिन	201	62712.00
6.	अन्य व्यय			ल०स०	7008.00
				योग-	166610.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	9996.61
				योग-	176606.61

ESTIMAT- 190.50 ha

चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	दुग्ध नाली की परीक्षण/प्रकारवाही/तारबाह मरम्मत आदि	-	-	रु०/मी	14000.00
2	प्रजापतिवार ऊबड़वार एवं गोलाईवार जिवित पीछों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	-	-	रु०/मी	13000.00
3	पुष्पारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
4	अन्य व्यय	-	-	रु०/मी	4170.00
				योग-	67350.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	4041
				योग-	71391.00

पंचम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	दुग्ध नाली की परीक्षण/प्रकारवाही/तारबाह मरम्मत आदि	-	-	रु०/मी	3000.00
2	एन डी बालीकरी/एन प्रभागीय वनाभोजकरी की देख-रेख में सोपेत पीछों की भव्यमरम्मतनुसार पुनर्ग/छटाई (वृत्त दरो पर)	11000.00	प्रति रीकडा	300.14	33015.40
3	प्रजापतिवार ऊबड़वार एवं गोलाईवार जिवित पीछों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	-	-	रु०/मी	13000.00
4	पुष्पारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
5	अन्य व्यय	-	-	रु०/मी	1135.00
				योग-	86330.40
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	5179.824
				योग-	91510.22

षष्ठम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	पुष्पारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
2	प्रजापतिवार ऊबड़वार एवं गोलाईवार जिवित पीछों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	-	-	रु०/मी	13000.00
3	अन्य व्यय	-	-	रु०/मी	10750.00
				योग-	59930.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	3595.8
				योग-	63525.80

सप्तम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	पुष्पारोपण सुरक्षा श्रमिक पर व्यय (16 हेक्टेयर पर एक)	180	प्रतिदिन	201	36180.00
2	प्रजापतिवार ऊबड़वार एवं गोलाईवार जिवित पीछों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	-	-	रु०/मी	13000.00
3	अन्य व्यय	-	-	रु०/मी	10750.00
				योग-	59930.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	3595.8
				योग-	63525.80

अष्टम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	प्रजापतिवार ऊबड़वार एवं गोलाईवार जिवित पीछों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	-	-	रु०/मी	13000.00
2	अन्य व्यय	-	-	रु०/मी	1080.00
				योग-	14080.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	844.8
				योग-	14924.80

ESTIMAT- 190.50 ha

नवम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त पर)	-	-	₹0.10	13000.00
2	अन्य व्यय	-	-	₹0.10	1080.00
				योग-	14080.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	844.8
				योग-	14924.80

दशम वर्ष अनुरक्षण कार्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	प्रजातिवार ऊबाईवार एवं गोलाईवार जिवित पौधों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त पर)	-	-	₹0.10	13000.00
2	अन्य व्यय	-	-	₹0.10	1080.00
				योग-	14080.00
				6 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय	844.8
				योग-	14924.80

वृक्षारोपण वर्ष	1. (अग्रिम मृदा कार्य)- 454122.02	753635.91
	2. (वृक्षारोपण कार्य)- 299513.89	177642.22
प्रथम वर्ष अनुरक्षण-		171732.72
द्वितीय वर्ष अनुरक्षण		176606.60
तृतीय वर्ष अनुरक्षण		71391.00
चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण		91510.22
पंचम वर्ष अनुरक्षण		63525.80
षष्ठम वर्ष अनुरक्षण		63525.80
सप्तम वर्ष अनुरक्षण		14924.80
अष्टम वर्ष अनुरक्षण		14924.80
नवम वर्ष अनुरक्षण		14924.80
दशम वर्ष अनुरक्षण		16,14,344.67
योग 10 हे० हेतु -		1,61,434.46
1.00 हे० हेतु वांछित धनराशि		या 1,61,434.00
190.50 हे० हेतु वांछित धनराशि		3,07,53,177.00
प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/10-2014-17(4)/75 लखनऊ दिनांक 11.11.2014 में स्तम्भ-2 में उल्लिखित "सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाईयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा डिपॉजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर सेंटेज कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा, किन्तु राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी०सी०एल०) प्रणाली व डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट (डी०सी०एल०) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेंटेज कार्यास (लागत 100) का 8.875 प्रतिशत अनुमन्य होगा। यदि सम्बन्धित विभागों के द्वारा जिन कार्यों पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेंटेज (अधिष्ठान व्यय) राजकोष में जमा किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।"		उक्त धनराशि 3,07,53,177.00 पर 6.875% सेन्टेज सहित वांछित धनराशि= 3,28,67,458.00 (तीन करोड़ अठ्ठाईस लाख सत्तर हजार चार सौ अठ्ठावन रुपये) मात्र।

नोट- उपरोक्त धनराशि वर्तमान दर के अनुसार प्रौक्कलित है जो उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों/माइड लाइन के अनुरार परिवर्तनीय है।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रमाणीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर

पत्रांक:-
सेवा में,

3654 / 13-1

ललितपुर

दिनांक:- 14 मार्च/2023

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पटरी कि०मी० रा०-51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव संख्या- (FP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक-3177 / 14-1 (FP/UP/Road/121197/2021), दिनांक 02.03.2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक के संबंध में इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी कुल 223.00 हे० गैर वन भूमि से 41.22 हे० गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्र०सं०	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	पॉलीगन का क्षेत्रफल (हे० में)	अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनवर्ती अनुरक्षण व्यय की
1	2	3	4	5
1	बार	बघौरा गाटा संख्या-228	6.71	2360231.00
2	बार	बघौरा गाटा संख्या-739 एवं 740	5.21	2161238.00
3	बार	बघौरा गाटा संख्या- 15, 16 एवं 17	13.30	3533623.00
4	ललितपुर	कपासी गाटा संख्या- 251	16.00	4654154.00
		योग :-	41.22	1,27,09,246.00

मु० एक करोड़ सत्ताईस लाख नौ हजार दो छियालीस रुपये मात्र

गैर वन भूमि की अनउपलब्धता की दशा में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगनी अवनत वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	रेंज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	पॉली गन का क्षेत्रफल (हे० में)	अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक अनवर्ती अनुरक्षण व्यय की
1	2	3	4	5
1	गौना	वालावेहट	40.00	10194634.00
2	तालवेहट	शाहपुर	20.00	5568527.00
3	तालवेहट	पवा	26.84	7612019.00
		योग :-	86.84	2,33,75,180.00

मु० दो तैतीस लाख पच्चातर हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र

उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि 223.00 हे० में से 181.04 हे० (उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि) अनुपयुक्त वनभूमि में ए०एन०आर० कार्य प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	रेज का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	पॉलीगन का क्षेत्रफल (हे० में)	ए०एन०आर० कार्य तथा 10 वर्षों तक अनवर्ती अनुरक्षण व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
1.	ललितपुर	घौजरी गाटा सं०-302/1	2.24	62,18,100.00
2.	ललितपुर	घौजरी गाटा सं०-26/1	30.20	2,04,37,000.00
3.	ललितपुर	घौजरी गाटा सं०-27/1	90.50	7,05,50,200.00
4.	ललितपुर	जाखलौन गाटा सं०-752/4/1	18.00	1,44,95,100.00
5.	ललितपुर	जाखलौन गाटा सं०-606/4	20.30	1,62,72,200.00
6.	ललितपुर	जाखलौन गाटा सं०-532/1/2	9.74	1,03,57,500.00
7.	ललितपुर	जाखलौन गाटा सं०-523	2.40	60,25,900.00
8.	ललितपुर	बघौरा गाटा सं०-810, 817	7.66	1,06,83,500.00
योग :-			181.04	15,50,39,500.00

मु० पन्द्रह करोड़ पचास लाख उन्तालीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र

अतः वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि 41.22 हे०, दुगनी अवनत वन भूमि 86.84 हे० में क्षतिपूर्क वनीकरण के अग्रिम मृदा कार्य वृक्षारोपण एवं शेष उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि 181.04 हे० का 10 वर्षों तक अनवर्ती अनुरक्षण हेतु आवश्यक अनुमानित धनराशि 19,11,23,926.00 (उन्नीस करोड़ ग्यारह लाख तेईस हजार नौ सौ छब्बीस रुपये मात्र) के प्राक्कलन संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/03/2023
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

पत्रांक :- 3654/सम दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ।
3. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, झांसी।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
5. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
6. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपलब्ध करायी जा रही 41.22 हे० गैर वन भूमि, 86.84 हे० दुगनी अवनत वन भूमि एवं 181.04 हे० गैर वनभूमि के एस०ओ०आई० टोपोग्रीफ, जिओ रिफरेंस मैप, पॉलीगन टेबिल एवं पॉलीगन मैप प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14/03/2023
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

पत्रांक-5150 /14-1, मेरठ: दिनांक: 02 मार्च, 2023.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गुजपफरनगर।

विषय:-

चौधरी चरणसिंह कांयड़ राउतक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दाईं पटरी कि०मी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद गुजपफरनगर वन प्रभाग में 113.00 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं गुजपफरनगर वन प्रभाग में 10,073 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे (24,223 वृक्ष तथा 42,462 पौधे) एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में (4104 वृक्ष एवं 25000 पौधे) 29,164 वृक्ष/पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

1-पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8वीं/यू०पी०/०६/221/2021 /एफ०सी०/930, दिनांक-28.02.2023.

2-आपका पत्रांक-3177/14-1, दिनांक 02.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। जिसके क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभाग से सम्बन्धित विभिन्न धनराशि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जोकि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	शर्त सं०	मद	धनराशि (रु० में)	मुगतान किये जाने सम्बन्धित विवरण
1	2	3	4	5
1	6	जनपद मेरठ की 84.6 हे० संरक्षित वन भूमि का संशोधित दसों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की, धनराशि (रु० 12,28,590.00/- प्रति हे०)	10,39,38,714.00/- (दस करोड़ उन्तालीस लाख अड़तीस हजार सात सौ चौदह रुपये मात्र)	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से।
2	4 व 9	शर्त संख्या-4 एवं 9 के अनुसार जनपद मेरठ में प्रभावित वृक्षों के पातन से होनी वाली क्षति के फलस्वरूप रोड साईड प्लांटेशन/ब्लॉक प्लांटेशन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल का संयुक्त सर्वेक्षण उपरान्त के०एम०एल० फाईल एवं प्लांटेशन स्कीम उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-5144/14-1, दिनांक 02.03.2023 से प्रयोक्ता अभिकरण को लिखा गया है। प्लांटेशन स्कीम एवं के०एम०एल० उपलब्ध कराने उपरान्त ही रोड साईड प्लांटेशन/ब्लॉक प्लांटेशन की धनराशि का आकलन प्रेषित किया जाना सम्भव हो पायेगा।	-	
3		इसके आतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन एवं वन्यजीव के सफल प्रबन्ध हेतु प्रस्तावित प्रयोजना की कुल लागत का 02 प्रतिशत धनराशि को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वन प्रभागों में नियमानुसार देय ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।		

अतः आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्या-5150 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,मेरठ वृत्त, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 2. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

पत्रांक-5300 / 14-1, मेरठ: दिनांक: 15 मार्च, 2023.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय:- चौधरी चरणसिंह कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दाएँ पटरी कि०मी० चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.86 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौधे (24,223 वृक्ष तथा 42,462 पौधे) एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में (4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे) 29,164 वृक्ष/पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- 1-पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/२२१/२०२१ /एफ०सी०/९३०, दिनांक-28.02.2023.
2-आपका पत्रांक-3265/14-1, दिनांक 14.03.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। जिसके क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभाग से सम्बन्धित विभिन्न धनराशि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जोकि निम्नवत् है:-

- 1- सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या-04 के सापेक्ष 15 हे० रोड साईड प्लानटेशन/ब्लॉक प्लानटेशन/ट्री प्लांट हेतु धनराशि रु० 1,86,05,220.00/- (एक करोड़ छयासी लाख पाँच हजार दो सौ बीस रुपये मात्र) को कैम्पा फण्ड में जमा कराया जायेगा।
 - 2- परियोजना में प्रभावित पूर्व में किये गये वृक्षारोपण के सापेक्ष वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण की धनराशि रुपये 46,27,763.00/- (छयालिस लाख सत्ताईस हजार सात सौ तिरसठ रुपये मात्र) का का देय ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के नाम देय हो को इस कार्यालय में जमा कराया जायेगा।
 - 3- उक्त के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव के सफल प्रबंधन हेतु धनराशि रु० 50,00,000.00/- (पचास लाख रुपये मात्र) की धनराशि का देय ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के नाम देय हो को इस कार्यालय में जमा कराया जायेगा।
 - 4- इसके अतिरिक्त परियोजना में प्रभावित सरधना रेंज परिसर का नव निर्माण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के खर्च पर किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता भी उपलब्ध करायी गयी है।
- अतः आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संख्या-5300 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 2. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।



Phone-0120-2783617

Fax-0120-2783618

E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक: 3612/14-1, दिनांक, गाजियाबाद 17 मार्च, 2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषय: चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायी पटरी कि०मी० चैनैज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 है० संरक्षित वन भूमि, जनपद-मेरठ वन प्रभाग में 84.6 है० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 है० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल-222.98 है० संरक्षित वन भूमि एवं गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 65685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधें अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (FP/UP/Road/121197/2021)।

संदर्भ: पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या- 8बी०/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/९३०, दिनांक 28.02.2023 तथा आपका पत्रांक- 3177/14-1, दिनांक 02.03. 2023

महोदय,

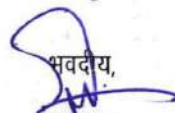
उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धन्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। जिसके कम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभाग से सम्बन्धित विभिन्न धनराशि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जोकि निम्नवत् है:-

Observe No.	Condition of GOI	Compliance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को लिखने का कष्ट करें।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over of 408.06 ha {41.22 ha non forest land (16.00 ha of Gata No. 251/4, Village Kapasi, Range & District Lalitpur, 13.30 ha of Gata No. 15, 16 & 17 village Baghaura, range Baar District Lalitpur 6.71 ha of Gata No. 228 Village Baghaura Range Baar, District Lalitpur & 5.21 ha of Gata No. 739 & 740 Range Baar, District Lalitpur) and 366.84 ha degraded forest land (66.50 ha of Daati Compartment No. 1 (Suryavar), rangeVindhampal, District Mirzapur, 40.00 ha of Babura Compartment No. (mahugarhi) Range Darmandganj District Mirzapur 84.00 ha of Ghori Compartment No. 2 Jahdar Range Patchara District Mirzapur 40.00 ha. of Balabehat Ofrest Block Range Gauna, District Lalitpur, 20.00 ha. of Shahpur forest Block range Talbehat District Lalitpur 26.84 ha of Pwa Ofrest Block range Talbehat District Lalitpur, 18.00 ha of Compartment No. 6 patna Forest Block range Patna District sonbhadra 20.00 ha of Compartment No. 2 Roup Forest Block Range Churk District Sonbhadra 20.00 ha of Compartment No. 3 Roup Forest Block, Range Churk District Sonbhadra 20.00 ha. of compartment No. 8 Manchi Forest Block, Range Machi District Sonbhadra & 20.00 ha f Compartment No. 3 Devri Forest Block Range Machi District SONbhadra)} the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and nonoculture of any species may be avoided.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है। सम्बन्धित से मांग प्रस्तुत करने हेतु लिखने का कष्ट करें।
3	The non-forest land which is unsuitable for plantation should be taken up for protection and assisted afforestation in the available space using necessary cultural operation technique.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
4	Road side plantation/block plantation should be taken up any of the three affected districts in the proposal to compensate for loss of tree cover.	उक्त शर्त की अनुपालना हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ द्वारा अपने पत्रांक-5300/14-1, दिनांक 15. 03.2023 द्वारा मांग प्रेषित की जा चुकी है।

5	The non forest land of 223.00 ha in district Lalitpur Proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
6	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
7	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 222.98 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	एनपीवी की धनराशि रु0 3,35,20,617 कैम्पा फंड में जमा कर पुष्टि इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखने का कष्ट करें।
8	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
9	User agency shall restrict the felling of trees to 112722 tree/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling trees shall be deposited by the User Agency with State Forest Department.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
10	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
11	certificate of 'No violation' of FCA from concerned DFOs shall be provided.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र इस वन प्रभाग के स्तर से अनुपालन के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
12	Plantation shall be raised on both sides of the road and median by State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16-11-201. Scheme for roadside plantation shall be submitted.	1. इस वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर 2470 ब्रिक गार्ड निर्माण कर वृक्षारोपण एवं 06 वर्षों के अनुरक्षण हेतु रु0-1,02,50,500 की धनराशि कैम्पा फंड में जमा करने हेतु लिखने की कृपा करें। 2. इस वन प्रभाग के अन्तर्गत मार्ग के मीडियन पर 2058 ट्री गार्ड क्रय कर वृक्षारोपण एवं 06 वर्षों के अनुरक्षण हेतु रु0- 61,74,000.00 की धनराशि कैम्पा फंड में जमा करने हेतु लिखने की कृपा करें। उक्त ब्रिक गार्ड एवं ट्री गार्ड वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि रु0-1,64,24,500.00 कैम्पा फंड में जमा कराकर चालान एवं पुष्टि इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
13	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
14	The user agency shall provide suitable under/over pass in protected Area/Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FCA/REC.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
15	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
16	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।

17	No labour camp shall be established on the forest land	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
18	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
21	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
24	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
25	Any order of Temporary Work Permission I case of Linear Project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
26	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline E. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
27	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
29	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।

- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के स्तर से प्रस्ताव के साथ चौ० चरण सिंह कावड़ मार्ग में विस्थापित होने वाली इस वन प्रभाग की परिसम्पत्ति का आंकलन कर रू०- 3,01,11,392.00 का डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था तथा उक्त सूचना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपलोड की गयी थी। उक्त धनराशि जमा करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा कोई भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विस्थापित होने वाली परिसम्पत्तियों की धनराशि प्रस्तावक विभाग से जमा कराने एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में उक्त शर्त का उल्लेख करने हेतु लिखने का कष्ट करें।
- उक्त के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव के सफल प्रबंधन हेतु धनराशि रू०- 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र) की धनराशि का देय ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम देय हो को इस कार्यालय में जमा करने हेतु लिखने की कृपा करें।


 भवदीय,
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 गाजियाबाद।

पत्रांक: 3612/14-1, तददिनांकित

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 गाजियाबाद।

17	No labour camp shall be established on the forest land	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
18	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
21	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
24	The KML file of the area to be diverted the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नहीं है।
25	Any order of Temporary Work Permission I case of Linear Project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Ndal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
26	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline E. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
27	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।
29	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखने की कृपा करें।

- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग के स्तर से प्रस्ताव के साथ चौ० चरण सिंह कावड़ मार्ग में विस्थापित होने वाली इस वन प्रभाग की परिसम्पत्ति का आंकलन कर ₹०- 3,01,11,392.00 का डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था तथा उक्त सूचना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपलोड की गयी थी। उक्त धनराशि जमा करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा कोई भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विस्थापित होने वाली परिसम्पत्तियों की धनराशि प्रस्तावक विभाग से जमा कराने एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में उक्त शर्त का उल्लेख करने हेतु लिखने का कष्ट करें।
- उक्त के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव के सफल प्रबंधन हेतु धनराशि ₹०- 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र) की धनराशि का देय ड्रॉफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम देय हो को इस कार्यालय में जमा करने हेतु लिखने की कृपा करें।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

पत्रांक: 3612/14-1, तददिनांकित

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।